

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर
जिला जोधपुर(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री नेमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :- 13/2025

जीसीएमएस नं. :- 2025/752

अपीलांत:-	बनाम	रेसपोडेन्ट्स :-
1. मारवाड़ सीमेन्ट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस नंबर ए 408, चतुर्थ फ्लोर ग्राम हाउस प्लॉट नंबर 14 सी, सेक्टर 19 दाना बाजार के सामने वांसी, नवी मुम्बई, मुम्बई 400703, महाराष्ट्र पैन नंबर-AACCV7579A ज़रिये अधिकृत प्रतिनिधि विरेन्द्रसिंह पुत्र रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बोरुन्दा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।		1. बक्साराम पुत्र बचनाराम जति जाट निवासी ग्राम बोरुन्दा तहसील पीपाड़शहर 2. सरंपच, जरिये ग्राम पंचायत बोरुन्दा तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर राजस्थान।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान मू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :

श्री निर्मल कटारिया अपीलांत की ओर से
श्री दीपक दवे रेसपो संख्या 02 की ओर से

दर्ज दिनांक :- 01/12/2025

निर्णय


दिनांक : 16/04/2026

अपीलांत ने एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. मू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है ग्राम बोरुन्दा तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 103 क्षेत्रफल 1. 1325 हेक्टेयर किस्म बारानी कृषि भूमि आई हुई है जो राजस्व रेकॉर्ड में खाता संख्या नया 1055 व पुराना 1068 पर इन्द्राजशुदा है। उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 103 रेसपोडेन्ट संख्या एक की खातेदारी भूमि रही थी जिस सम्पूर्ण भूमि को अपीलांत ने रेसपोडेन्ट संख्या एक से जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा के कय किया जो बैचाननामा उपपंजीयक कार्यालय बोरुन्दा में दिनांक 27.06.2025 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 17 में पृष्ठ संख्या 166 कम संख्या 202503543100681 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 68 के पृष्ठ संख्या 69 से 73 पर चस्पा किया गया है। इस प्रकार रेसपोडेन्ट संख्या एक ने अपनी उक्त भूमियों अपीलांत से सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि प्राप्त कर अपीलांत को कब्जा सुपुर्द करके बैचाननामा निष्पादित किया। उक्त पंजीबद्ध बैचाननामा का नामान्तरण भ्रवाने हेतु अपीलांत ने नियमानुसार हल्का पटवारी से सम्पर्क कर नामान्तरण की कार्यवाही


उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर


की जिस पर हल्का पटवारी ने विधिवत् रूप से नामान्तरण संख्या 357 दर्ज कर आगामी कार्यवाही हेतु रेस्पोंडेन्ट संख्या दों के कार्यालय में प्रस्तुत किया जिस पर रेस्पोंडेन्ट संख्या दों ने बिना कोई कारण उक्त पंजीबद्ध बैचाननामा का नामान्तरण संख्या 357 अस्वीकृत कर दिया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई। ग्राम पंचायत बोरुन्दा ने नामान्तरण जैर अपील अस्वीकार करने में कानूनी एव वाक्याती भूल की है। ग्राम पंचायत बोरुन्दा ने नामान्तरण जैर अपील अस्वीकार करने से पुर्व अपीलांट को कोई नोटिस ही नहीं दिया गया तथा तमाम कार्यवाही बिना सुनवाई किये बाले बाले की गई जबकि अपीलांट व रेस्पोंडेन्ट संख्या एक कों सुनवाई का अवसर देकर कार्यवाही की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत बोरुन्दा ने उक्त नामान्तरण सरासर गलत अस्वीकार किया है जिसका ग्राम पंचायत द्वारा कोई ठोस आधार व कारण नहीं बताया गया। ग्राम पंचायत ने नामान्तरण जैर अपील अस्वीकार करने से पंजीबद्ध बैचाननामा का अवलोकन नहीं किया न ही विधिवत् व कोई जांच की। उक्त नामान्तरण संख्या 357 कानून के प्रावधानों की मंशा के विपरीत अस्वीकार किया गया है। नामान्तरण जैर अपील के जरिये संरपच ग्राम पंचायत बोरुन्दा ने अपीलांट के जायज खातेदारी अधिकारों से वंचित करने का असफल प्रयास किया हे नामान्तरण जैर अपील के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने नामान्तरण अस्वीकृत करते समय पंजीबद्ध बैचाननामा का अवलोकन नहीं करके उक्त नामान्तरण बिना कोई कारण बताये गलत रूप से अपनी मनमर्जी से कानून को नजरअंदाज करते हुए अस्वीकृत कर दिया जबकि ग्राम पंचायत को चाहिए था वे अपीलांट व रेस्पोंडेन्ट संख्या एक को विधिवत् नोटिस देकर व पंजीबद्ध बैचाननामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन करके नामान्तरण की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। तमाम कार्यवाही बाले बाले एक तरफा की गई है इसलिए नामान्तरण जैर अपील काबिल खारिज फरमाने योग्य है। अपीलांट आज दिन खसरा नंबर 103 पर काबिज है व काश्त कार्य करता आ रहा है अपील पेश कर अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 357 कों पंजीबद्ध बैचाननामा दिनांक 27.06.2025 के अनुसार ही नामान्तरण स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद किये जाने हेतु तहसीलदार पीपाड शहर को आदेशित फरमाये जा का निवेदन किया गया।

हमने अपीलांट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया । रेस्पोंडेन्ट्स को समन जारी किये गये । रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 को बाद समन तामिल अवसर दिये जाने के बावजूद स्वयं/प्रतिनिधि अनुपस्थित, जिस पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पों 02 की ओर से अधिवक्ता दीपक दवे ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया जिसके अनुसार नामान्तरण संख्या 357 तकनिकी कारणों से निरस्त हो गया है, अपील स्वीकार की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।



 उपखण्ड अधिकारी
 पीपाड शहर

हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी, वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील के बिन्दुओं को दौहराते हुए अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया एवं वकील रसपो 02 ने अनापत्ति जाहिर की।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस वकूलाय पर मनन किया गया। अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य होने से अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बोरुन्दा के नामान्तरकरण संख्या 357 को पंजीबद्ध बेचाननामा 27/06/2025 के अनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाकर तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद की आवश्यक कार्यवाही करे। तहसीलदार पीपाड़ शहर को तहरीर जारी हो।


 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 16/04/2026 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।


 सहायक कलेक्टर एवं
 पदेन उपखण्ड अधिकारी
 पीपाड़ शहर